मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या ४५१/२०१८,
१. ९मुलायम सिंह उम्र ४६वर्ष पुत्र श्री अमरजू
२. शैलेन्द्र सिंह पुत्र मुलायम सिंह उम्र २६ वर्ष
३. दीपक पुत्र मुलायम सिंह उम्र २३ वर्ष
४. श्रीमती अवधरानी उम्र ६५ वर्ष पत्नी स्व. श्री अमरजू
समस्त निवासीगण ग्राम अमगाॅव थाना पूंछ जिला झाँसी

------याचीगण

प्रति

१. जवाहर लाल पुत्र श्री रामाधार निवासी ग्राम छिरौरा खुर्द थाना गुरसरांय जिला झाँसी
..........स्वामी मोटर साईकिल नं. यू.पी. ९३ जेड ९८२७
२. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री शालिगराम निवासी ग्राम छिरौरा थाना गुरसरांय जिला झाँसी
.........चालक मोटर साईकिल नं. यू.पी. ९३ जेड ९८२७
३. आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इश्योरेन्स कं. जरिए मण्डलीय प्रबन्धक, कचहरी चौराहा, झाँसी
...........बीमा कम्पनी मोटर साईकिल नं. यू.पी. ९३ जेड ९८२७

------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री संजय सिंह यादव
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री वी.सी. कुशवाहा
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री पंकज निगम

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इश्योरेन्स कं. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं।

याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा ३४बी पर याचीगण व विपक्षी सं. ३ आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इश्योरेन्स कं. के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ३४बी सुलहनामा विगत नियत तिथि पर उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। ३४बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ५,००,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ३४बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा ३४बी में दर्शित कुल ₹ ५,००,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु तैयार है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु सहमत हैं। अतः याचिका सुलहनामा ३४बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा ३४बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ३४बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ५,००,००० (पाँच लाख पचास हजार) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं.३६७१०००१०११९२४८९आई.एफ.सी.कोड सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अन्तरित कर दें। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। याचीगण मृतका श्रीमती माया देवी के क्रमशः पति, पुत्रगण व सास हैं। अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. १, २, ३ व ४ क्रमशः ४५, २०, २० व १५ प्रतिशत धनराशि प्राप्त करेंगे तथा उक्त प्रत्येक याचीगण को प्राप्त होने वाली धनराशि में से वे २५-२५ प्रतिशत धनराशि आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगे तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनायी जायेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 14:33:28 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi